फर्द अहकाम

न्यायालय ______________________

सरकार बनाम रेणु [illegible]

मुकदमा संख्या/वर्ष 175/1997 : ______________/ 20______

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	31/7/14.	पत्रावली पेश हुई / उभयपक्ष उप0 [illegible] की ओर [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	1-18

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

3:
02

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या – 175/1997

आदेश दिनांक : 31.07.2024

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती रेनू मूर्ति धर्मपत्नी श्री मोहन मूर्ति ब्राहम्ण
निवासी 47, रिंग रोड, नई दिल्ली।
2. राजेन्द्र डागा पुत्र श्री प्रसन्नचन्द डागा जाति ओसवाल जैन
निवासी निलगिरी गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

...........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर साबिक खसरा नम्बर 168/1, 168/2, 168/3, 178/2, 178/3 से वक्त भू–प्रबन्ध हाल खसरा नम्बर 952 मिन, 953 मिन, 954 मिन, 960 मिन क्षेत्रफल 0.17 हैक्टेयर बने, दौराने भू–प्रबन्ध, भू–प्रबन्ध के कर्मचारीयों एवं अधिकारीयों ने बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के अवैधानिक तरीके से कानून के विपरित साबिक खसरा नम्बर 168/1, 168/2, 168/3, 178/2, 178/3 हाल खसरा नम्बर 952 मिन 0.01 हैक्टेयर, 954 मिन रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज कर दी गई है। भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारीयों ने गत जमाबन्दी के इन्द्राज को स्वेच्छा से परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है एवं भू–प्रबन्ध के अधिकारीयों द्वारा कानून के विपरित अप्रार्थी के नाम रिकार्ड ऑफ राईटस् से जो भूमि की खातेदारी ... है वह नियमविरूद्ध होने से दुरूस्त की जाकर वापिस राजकीय सिवाय चक दर्ज की जानी आवश्यक है। ... अप्रार्थी के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अवैध रूप से रिकार्ड ऑफ राईटस् में किया गया ... महापुरा में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 952 मिन 0.01 हैक्टेयर, 954 मिन रकबा 0.08 ... कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर राजकीय सिवाय चक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पटवारी हल्का द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 को पेश की, जिसके अवलोकन से जाहिर हुआ कि वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या दो है। पत्रावली में अप्रार्थी संख्या दो की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर पत्रावली में अपना जवाब पेश किया, जिसके अनुसार प्रार्थना के मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है गलत व आधार हीन होने के कारण अस्वीकार है भू–प्रबन्ध विभाग से मिली खतोनी बन्दोबस्त संवत 2015 से 2034 ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खाता संख्या अनुसार इस मद में अंकित साबिक मूल खसरा नम्बर 168 रकबा 10 बिस्वा का होना स्वीकार है ग्राम महापुरा जागीरदार पुरषोत्तमलाल वगै. के जागीर का ग्राम था जिसके अन्य खसरा नम्बरान् के साथ रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हरिकिशन, रामस्वरूप व रामरतन पि0 गोपिकृष्ण कोम गोसाई सा. देह हि. बराबर थे। अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने पर हुए भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खतोनी बन्दोबस्त जमाबन्दी अनुसार प्रश्नाधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 168 रकबा 10 बिस्वा सिवाय चक न होकर खातेदार काश्तकारान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी। इस मद में उक्त भूमि को सिवायचक राजकीय भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार गलत अंकित की है। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015 से 2034 ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर अवलोकनार्थ जवाब के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य साबिक भू–प्रबन्ध द्वारा जारी खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015 से 2034 के प्रतिकूल होने के कारण अस्वीकार हैं, हाल खसरा नम्बर 952 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 953 रकबा 1.37 हैक्टेयर व 958 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.62 हैक्टेयर के उत्तरदाता ने भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार श्रीमती रेनू मूर्ति पत्नी श्री मोहन मूर्ति ब्राहम्ण से बजरिये पंजीकृत विकय पत्र उचित प्राप्त किया हैं। उत्तरदाता उक्त भूमि बोनाफाइड परचेजर इन टाइटल है। साबिक खसरा नम्बर 168 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 178 रकबा 2 बिस्वा रेकार्डेड खातेदार की खातेदारी की भूमि रही है उक्त भूमि सिवाय चक बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व निर्णय के नही कही जा सकती है। इसलिए इस मद में रकबा 0.17 हैक्टेयर को हाल खसरा नम्बरान तथ्य मिलान क्षेत्रफल राजस्व रेकार्ड अनुसार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य साबिक रेकार्ड खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 से 2034 के प्रतिकूल है विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूप्रबन्ध विभाग को पूर्व भू प्रबन्ध की प्रविष्टि अनुसार खातेदारी में दोहराना चाहिये। इस मद में अंकित खसरा नम्बरान 168/1, 168/2, 168/3, 178/2, 178/3 से मिल कर हाल खसरा नम्बरान् 952 मि0 0.01 हैक्टेयर, 954 मि0 रकबा 0.08 हैक्टेयर है, श्रीमती रेनू मूर्ति के नाम खातेदारी में उक्त खसरा नम्बरान 168 व 178 सिवाय चक भूमि न होकर रेकार्डेड खातेदार की भूमि रही है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है, उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के प्रतिकूल है खातेदारी भूमि को सिवाय चक कब व किस अधिकारी के आदेश से अंकित किया तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है। कानूनन राजस्व रिकार्ड के प्रतिकुल यदि उक्त खसरा नम्बरान 168 व 178 को सिवाय चक अंकित किया गया है तो वह प्रारम्भ से अवैध व प्रभावहीन है व बिना क्षेत्राधिकार के किया गया राजस्व रेकार्ड है जिस पर विश्वास नही किया जा सकता है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ खसरा गिरदावरी सम्वत 2048 पेश की है गिरदावरी रेकार्ड ऑफ राईट नही है गिरदावरी के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट संधारण योग्य नही है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो ने ... पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमनें पत्रावली पर बहस सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली का मय दस्तावेज निर्णय हेतु अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं अप्रार्थी के जवाब व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 952 व 954 मिन गत खसरा नम्बर 168 व 178 से निर्मित है तथा राजस्व रिकार्ड गत जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 34 के अनुसार गत खसरा नम्बर 168 व 178 की खातेदारी हरी किशन, रामस्वरूप व राम रतन पि. गोपी कृष्ण कौम गुंसाई सा. देह हि. बराबर मु. कदीम के नाम से दर्ज रही है तथा उक्त गत खसरा नम्बर 168 व 178 सिवाय चक के रूप में दर्ज नही रहा है, दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही उक्त गत खसरा नम्बर 168 व 178 से निर्मित हाल खसरा नम्बर 952 मिन व 954 मिन भी खातेदारी की भूमि रही है, सिवाय चक भूमि नही रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सम्वत् 2048 की खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईटस् नही मानी जा सकती है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय पर उक्त गत खसरा नम्बर 168 व 178 खातेदारी की भूमि रही है, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गत खसरा नम्बर 168 व 178 सिवाय चक की भूमि दर्ज रही हो यह साबित करने में प्रार्थी असफल रहा है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहा है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested